

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक 3/सम्पुष्टि-06-12/2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.81 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सत्यनारायण शर्मा/ जे 6051/15.10.50/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला / 30.01.79	30.01.89	5564/27.08.90	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला को श्री सत्यनारायण शर्मा, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का मूल सेवापुस्त (दो भाग) के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु - यजोस्त

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7472 राँची, दिनांक :- 1-8-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)